पत्र संख्या–6/आधु0–01–07/2010(खंड)गृ0आ0......................../

बिहार सरकार

गृह (आरक्षी) विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0)
बिहार, पटना

पटना, दिनांक मार्च, 2016

विषय :– **नक्सल विरोधी कारगर अभियान के लिए सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ एवं प्रभावकारी बनाने हेतु Mines Protected Vehicle के क्रय के लिए Excise Duty एवं VAT के दर में बदलाव के कारण Vehicle Factory Jabalpur द्वारा अधियाचित राशि के भुगतान हेतु कुल ₹ 3,13,514 (तीन लाख तेरह हजार पाँच सौ चौदह रू0) मात्र की अग्रिम निकासी की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक पुलिस मुख्यालय के पत्रांक–292/आपूर्ति, दिनांक 10.03.2016 के आलोक में नक्सल विरोधी कारगर अभियान के लिए सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ एवं प्रभावकारी बनाने हेतु Mines Protected Vehicle के क्रय के लिए Excise Duty एवं VAT के दर में बदलाव के कारण Vehicle Factory Jabalpur द्वारा अधियाचित राशि के भुगतान हेतु कुल ₹ 3,13,514 (तीन लाख तेरह हजार पाँच सौ चौदह रू0) मात्र के अग्रिम निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में गैर योजना के मांग सं0–22 तथा मुख्य शीर्ष 2055–पुलिस, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–001–निदेशन और प्रशासन, उपशीर्ष–0003–केन्द्रीय स्तर पर सामग्रियों का क्रय, विषय शीर्ष 51 01–मोटर गाड़ी तथा विपत्र कोड N2055000010003 अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा ।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

4. निकासी की गई अग्रिम राशि को किसी भी हालत में बैंक खाता में नहीं रखा जायेगा और एक माह की अवधि में उसका व्यय अवश्य कर लिया जायेगा। अनावश्यक रूप से निकासी कर उसे बेकार नहीं रखा जायेगा। अग्रिम राशि के विरूद्ध आवश्यकतानुसार बैंक गारन्टी अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी ताकि राशि सुरक्षित रहे। राशि व्यय होने के उपरांत शीघ्र नियमानुसार डी0सी0 विपत्र समर्पित कर दिया जायेगा।

5. बिहार कोषागार संहिता, 2011 का विहित विपत्र पर राशि की निकासी की जायेगी।

8. निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यक कागजात को संलग्न किया जायेगा।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जाने वाले प्रमाण–पत्र का उल्लेख अवश्य करेंगे।

10. डी0सी0 विपत्र/उपयोगिता प्रमाण–पत्र 3 माह के अंदर समर्पित किया जायेगा।

11. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जायेगा।

12. उपर्युक्त में विभागीय मंत्री मुख्य (गृह) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/–
(आमिर सुबहानी)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–6/आधु0–01–07/2010(खंड)गृ0आ0.........2461........... पटना, दिनांक 30 मार्च, 2016

प्रतिलिपि :– वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण) बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव
30-3-16